रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-175/2018/4074/22-2-2017-17(402)/2016

लखनऊ: दिनांक: 16 फरवरी, 2018

आदेश

उत्तर प्रदेश के मा0 राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए **जिला कारागार, देवरिया** के सिद्धदोष **बन्दी दुन्नन सिंह उर्फ शेष नरायन सिंह (बन्दी संख्या-100/02) पुत्र श्री मुंशी सिंह, निवासी-मंगरूवा, थाना-हाटा, जनपद-कुशीनगर,** जिन्हें **सत्र परीक्षण संख्या-184/1995** के अन्तर्गत भारतीय दण्ड विधान की **धारा- 148, 302/149, 307/149, 452, 427** के अधीन **दिनांक 11.06.2002** को **मा0 अपर सत्र न्यायाधीश (कक्ष सं0-4), देवरिया** द्वारा **मृत्युदण्ड से दण्डित** किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 14.07.2003 द्वारा **आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित किया गया** तथा मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 02.12.2009 द्वारा अपील को निरस्त करते हुए मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दी गयी सजा को बहाल रखा गया, की शेष सजा का परिहार करते हैं] तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी द्वारा अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए **जिला मजिस्ट्रेट, कुशीनगर** के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-175/2018/4074(1)/22-2-2017 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, कुशीनगर।
3- पुलिस अधीक्षक, कुशीनगर।
4- अधीक्षक, जिला कारागार, देवरिया।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in